न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 42 दायर दिनांक : 20.02.2020

1. सीतादेवी धर्मपत्नी सत्यनारायण पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण साकिन मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. भंवरीदेवी
3. सरोज
4. कौशल्यादेवी
5. सुमन — पुत्र/पुत्रीयान सत्यनारायण पुत्र फूसाराम — अकवाम ब्राहमण साकिनान मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. दुर्गादत्त
7. विनोदकुमार
8. रमेश
9. शिवरतन
10. इच्छुदेवी पत्नी ओमप्रकाश
11. भोजाराम पुत्र ओमप्रकाश

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू—राजस्व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 15—एएए (2क) व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण के अभिभाषक व राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 15—एएए (2क) व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि फूसाराम पुत्र

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested

मुकनाराम के नाम से रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 में 20.00 बीघा बारानी भूमि आवंटन होकर कब्जा काश्त में आई जो कि गिरदावरी वर्ष 1953–54 से स्पष्ट है। यह भूमि मूल काश्तकार फूसाराम पुत्र मुकनाराम की मृत्यु के पश्चात् सत्यनारायण, ओमप्रकाश पुत्रगण फूसाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रही। प्रश्नगत भूमि काश्तकार की वर्ष 1955 से पूर्व की बतौर काश्तकार अंकित रही है व रकम राज उक्त भूमि की कायम हुई है। बाद में यह भूमि उपनिवेशन विभाग में आने एवं चकबन्दी होने पर चक 92.600 आर.डी. आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 के पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 के पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं. 2–3 = 0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों चकों में कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड में पैमूद होकर सत्यनारायण, ओमप्रकाश पि. फूसाराम के नाम अंकित रही। मूल काश्तकार फूसाराम व सत्यनारायण, ओमप्रकाश पि. फूसाराम की मृत्यु उपरान्त चक 92.600 आर.डी.आर. की कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि ब.हि.ब. वादीगण सं. 1 ता 9 के नाम व शेष 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 10–11 के नाम एवं चक 99.150 आर.डी.आर. की कुल 0.506 है0 अनकमाण्ड भूमि सत्यनारायण, ओमप्रकाश पि. फूसाराम के नाम आ. का.बाद दर्ज कागजात राज है। जबकि यह भूमि मूल काश्तकार फूसाराम पुत्र मुकनाराम व उनकी मृत्यु उपरान्त उनके पुत्रगण सत्यनारायण, ओमप्रकाश पि. फूसाराम के कब्जा काश्त व अंकन में रही। वर्तमान में वादीगण के नाम अंकित व कब्जा काश्त में है। यह भूमि पूर्व 55 की है, न कि वर्ष 55 के बाद की। वादीगण ने वाद पेश कर जैरवाद भूमि का स्वयं को 55 से पूर्व के काश्तकार घोषित करने व नियम 15–एएए (2क) में उक्त भूमि के काश्तकारान को अंकन अनुसार हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया।

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी राजस्थान सरकार को बजरिये विधिक प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को जरिये सम्मन तलब कर जवाब प्राप्त कर साक्ष्य वादीगण लिये गये व तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों की ओर ध्यान दिलाया व साथ ही तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र 15–एएए (2क) में पटवारी एवं गिरदावर द्वारा की गई रिपोर्ट की ओर भी ध्यान दिलाया कि जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि पूर्व 55 की लगातार कब्जा काश्त पूर्व में फूसाराम एवं उनकी मृत्यु उपरान्त सत्यनारायण, ओमप्रकाश की बताते हुए वर्तमान में वादीगण के कब्जा काश्त में बताई गई है। भूमि पूर्व 55 की पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताते हुए तर्क दिया कि वादीगण का वाद स्वीकार कर उन्हें वर्ष 1955 से पूर्व का काश्तकार घोषित किया जावे व पूर्व 55 के काश्तकार होने से नियम 15–एएए (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय करने का तर्क दिया। उनका यह भी कहना था कि यह भूमि वर्तमान में वर्ष 55 के बाद की दर्ज है। वादीगण के पूर्वज यद्यपि वर्ष 55 से पूर्व के काश्तकार दर्ज हैं, किन्तु उनकी हैसियत क्या थी, स्पष्ट नहीं है, इसलिए वे पूर्व 55 के काश्तकार सिद्ध नहीं होते।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहन पठन व मनन करने पर पाया गया कि स्वयं रिपोर्ट तहसीलदार, जो पत्रावली के संलग्न है, उसमें काश्तकार के रूप में रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 के काश्तकार फूसाराम वल्द मुकनाराम ब्राहमण 20.00 बीघा बीघा के दर्ज हैं। यह समय जागीरदारी में भूमि होने का है व भोगता भूमि काश्त हेतु प्रदान करने में सक्षम थी। काश्तकार को उस समय नियमानुसार आरजी काश्तकार ही माना जाता था। जागीर सरकार राजस्थान में आने के पश्चात् पूर्व अंकन अनुसार काश्तकार ही बने ... में भी अंकन

... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार वे आरजी काश्तकार वर्ष 1955 के बाद के अंकित हैं, जबकि यह भूमि अंकित काश्तकारों द्वारा वर्ष 55 से पूर्व से ही काश्त की जाती रही है। प्रश्नोत्तरी पटवारी एवं गिरदावरी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से वाद पूर्ण रूप से सन्देह से परे साबित हो रहा है व वाद स्वीकृति से राज्य हित भी प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मूल काश्तकार फूसाराम वल्द मुकनाराम ब्राहमण निवासी मोकलसर के माध्यम से सत्यनारायण, ओमप्रकाश पि. फूसाराम के नाम अंकित भूमि रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 से पैमूद हुई वाके चक 92.600 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 में अंकित पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर. डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 में अंकित पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं. 2–3 = 0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त् दोनों चकों की कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड भूमि का वादीगण सं. 1 ता 9 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 10–11 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का आरजी काश्त बाद 55 के स्थान पर पूर्व 55 का काश्तकार घोषित कर वादीगण को चक 92.600 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 के पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 के पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं. 2–3 = 0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों चकों की कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड भूमि में से वादीगण सं. 1 ता 9 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 10–11 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का धारा 15–एएए (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में खातेदार घोषित किया जाता है एवं घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 92.600 आर. डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 के पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 के पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं. 2–3 = 0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों चकों की कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड भूमि में से वादीगण सं. 1 ता 9 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 10–11 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का आ.का.बाद के स्थान पर पूर्व 55 का काश्तकार अंकित कर घोषणा अनुसार खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. सीतादेवी धर्मपत्नी सत्यनारायण पुत्र फूसाराम जाति ब्राहमण साकिन मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. भंवरीदेवी
3. सरोज
4. कौशल्यादेवी
5. सुमन
6. दुर्गादत्त
7. विनोदकुमार
8. रमेश
9. शिवरतन

पुत्र/पुत्रीयान सत्यनारायण पुत्र फूसाराम

अकवाम ब्राहमण साकिनान मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

10. इच्छुदेवी पत्नी ओमप्रकाश
11. भोजाराम पुत्र ओमप्रकाश

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू–राजस्व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88, 15–एएए (2क) व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 42 वर्ष 2020 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाज़िर **वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री भगवान दत्त शर्मा एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

मूल काश्तकार फूसाराम वल्द मुकनाराम ब्राहमण निवासी मोकलसर के माध्यम से सत्यनारायण, ओमप्रकाश पि. फूसाराम के नाम अंकित भूमि रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 से पैमूद हुई वाके चक 92.600 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 में अंकित पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164है0, 11 ता 14/1.012है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 में अंकित पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं.

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested

2–3 = 0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों चकों की कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड भूमि का वादीगण सं. 1 ता 9 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 10–11 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का आरजी काश्त बाद 55 के स्थान पर पूर्व 55 का काश्तकार घोषित कर वादीगण को चक 92.600 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 के पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 के पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं. 2–3 =0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों चकों की कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड भूमि में से वादीगण सं. 1 ता 9 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 10–11 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का धारा 15–एएए (2क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में खातेदार घोषित किया जाता है एवं घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 92.600 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 66/13 के पत्थर नं. 126/7 (57) के किला नं. 20/0.126 है0, 21/0.253 है0, 22/0.076 है0 = 0.455 है0, व पत्थर नं. 106/63 (58) के किला नं. 6/0.012 है0, 7/0.164 है0, 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.151 है0, 16 ता 20/1.265 है0, 21/2 में 0.253 है0, 22 ता 25/1.012 है0 = 3.869 है0, कुल 4.324 है0 अनकमाण्ड एवं चक 99.150 आर.डी.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 52/48 के पत्थर नं. 106/64 (11) के किला नं. 2–3 = 0.506 है0 अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों चकों की कुल 4.830 है0 अनकमाण्ड भूमि में से वादीगण सं. 1 ता 9 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 10–11 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर का आ.का.बाद के स्थान पर पूर्व 55 का काश्तकार अंकित कर घोषणा अनुसार खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.08.2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested